पत्रांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का॰–
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी
सभी अंचल अधिकारी,
झारखण्ड।

रांची, दिनांक ....

विषय :– अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।

प्रसंग :– विभागीय परिपत्र संख्या–7 / जा0नि0 19–11 / 2008 – 5682 दिनांक 22.10.2008

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र का निर्धारण प्रासंगिक परिपत्र के प्रपत्र–II द्वारा किया गया था। कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक 10.06.2002 के आलोक में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा का समावेश सम्बन्धित प्रपत्रों में किया जाना आवश्यक था तद्विषयक संशोधित प्रपत्र– II की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न है।

विभागीय परिपत्र संख्या–5682 दिनांक 22.10.2008 की कंडिका–2 इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का॰–...................... / रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, सभी विभाग / विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

letter- Section-7

ज्ञापांक–7/जाति–19–11/2008 का॰–10007(अ)/रांची, दिनांक 29/08/12

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ 29.8.

सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रपत्र—II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :–

तिथि :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008 4450 दिनांक 01.08.2011, 5826 दिनांक 19.09.2011, 807 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

FORM-II

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO THE POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ____________________ son/daughter of ______________________________ resident of Village/Town ____________________ P.S. ____________________ District ____________________ of Jharkhand belongs to the ______________________________ community which is recognised as an Extremely Backward Class (Annexure-I)/Backward Class (Aannexure-II) of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001*,**.

This is to also certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column-3 of the Schedule to the OM No.-36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993 of Department of Personnel & Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Official Languages vide Resolution No.-3482, dated 10.06.2002.

Signature of Competent Officer

Place :-

Date :-

Name ....

Post ....

(Official Seal)

(Note-Strike which is not applicable)

1. * Caste/Sub Caste enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001.

2. ** The castes included in the list of Extremely Backward Classes/Backward Classes under Section-2 of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001 vide Resolution No.-3885, dated 05.11.2011, 801 dated 11.02.2003, 3436 dated 28.06.2004, 6337 dated 08.12.2004, 6374 dated 11.12.2004, 368 dated 19.01.2006, 2759 dated 01.06.2006, 3706 dated 15.07.2006, 4447 dated 24.08.2006, 5182 dated 26.09.2006, 1604 dated 28.03.2007, 243 dated 11.01.2008, 5108 dated 23.09.2008, 4450 dated 01.08.2011, 5826 dated 19.09.2011, 697 dated 26.09.2011, 6580 dated 20.10.2011, 8060 dated 17.12.2011, 144 dated 06.01.2012, 2855 dated 27.03.2012 and as revised from time to time.